न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

राजस्व अपील संख्या :–22 / 2020

1. महादेवी पत्नी स्व0 रामस्वरूप
2. परमानंद पुत्र स्व0 रामस्वरूप

जाति माली निवासी ग्राम त्योंगा तहसील व जिला भरतपुर।

....अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरुद्व आदेश विरूद्व तहसीलदार भरतपुर दिनांक 04.05.1990 बाबत् दाखिला खारिज संख्या 22 ग्राम त्योंगा।

———

उपस्थितः–

1. श्री पंकज कुमार अधिवक्ता अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 09.03.2022**

अपीलान्टान द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0भू0राजस्व अधिनियम (मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम) विरूद्व दाखिला खारिज संख्या 22 ग्राम त्योंगा तहसील व जिला भरतपुर विरूद्व आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 04.05.1990 प्रस्तुत किया गया है। अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट संख्या 1 के ससुर व अपीलान्ट 2 के दादा शिवचरन की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का दाखिला खारिज संख्या 22 दिनांक 04.05.1990 को तहसीलदार भरतपुर द्वारा मंजूर किया गया । अपीलान्ट संख्या 1 के पति व अपीलान्ट संख्या 02 के पिता स्व0 रामस्वरूप का देहान्त हो गया था इस कारण रामस्वरूप के हिस्से की आराजी पर स्व0रामस्वरूप के वारिसों का नाम दर्ज हुआ। दाखिला खारिज भरते समय पटवारी हल्का ने स्व0रामस्वरूप की पत्नी महादेवी का नाम महादेई तथा पुत्र परमांनन्द का नाम गलत रूप से राजवीर दर्ज कर दिया। तहसीलदार भरतपुर ने बिना जांच किये ही पटवारी हल्का द्वारा भरे गये दाखिल खारिज की मंजूर कर दिया। तहसीलदार भरतपुर ने खिलाफ कानून व रिकार्ड के विपरीत आदेश दिया गया है जो कि काबिल खारिजी है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

पटवारी हल्का द्वारा भी कोई मौके पर जांच नही की गई और गांव के लोगों से सरसरी पूछताछ कर नाम दर्ज कर दिये गये। अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के क्रमशः पति व पिता का असल में नाम रामस्वरूप है और दाखिला खारिज संख्या 22 व जमाबंदी सम्वत48–51 में भी रामस्वरूप दर्ज कर दिया गया लेकिन उसके बाद की जमाबंदियों में रामस्वरूप के स्थान पर रामसरूप कर लिया गया है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलान्टान के समस्त दस्तावेजों में उनका सही नाम महादेवी पत्नी रामस्वरूप व परमानंद पुत्र रामस्वरूप दर्ज है। आधार कार्ड, भामाशाह व परिवार्ड कार्ड में सही नाम दर्ज है। अपीलान्ट संख्या 2 के शिक्षा प्रमाणपत्र में उसका सही नाम परमानंद पुत्र रामस्वरूप दर्ज है। अपीलान्टगण ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 04.05.1990 के आदेश की कोई जानकारी नही थी व जब प्रार्थीगण ऋण के लिये आवेदन किया तब अपने जमाबंदी में दर्ज उनके नामों की जानकारी हुई। इस पर दाखिला खारिज संख्या 22 की जानकारी दिनांक 27.0.2020 को होने पर दिनांक 28.10.2020 को नकल के लिए आवेदन किया और दिनांक 02.11.2020 को नकल प्राप्त होने पर प्रार्थीगण ने बिना देरी के यह अपील प्रस्तुत की। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुये अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने का शपथ पत्र पेश किया गया है। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार भरतपुर के दाखिला खारिज संख्या 22 दिनांक 04.05.1990 ग्राम त्योंगा में संशोधन कर अपीलान्ट संख्या 1 का नाम महादेई के स्थान पर महादेवी तथा अपीलान्ट संख्या 2 का नाम राजवीर के स्थान पर परमानंद किये जावे साथ ही हाल जमाबंदी में स्व0 रामस्वरूप के नाम को दुरूस्त कर रामसरूप के स्थान पर रामस्वरूप किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये तहत आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न पत्रावली है। पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने तर्को में अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया है कि दाखिला खारिज संख्या 22 ग्राम त्योंगा तहसील व जिला भरतपुर विरूद्व आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 04.05.1990 के पेश गई है। अपीलान्ट संख्या 1 के ससुर व अपीलान्ट 2 के दादा शिवचरन की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का दाखिला खारिज संख्या 22 दिनांक 04.05.1990 को तहसीलदार भरतपुर द्वारा मंजूर किया गया । अपीलान्ट संख्या 1 के पति व अपीलान्ट संख्या 02 के पिता स्व0 रामस्वरूप का देहान्त हो गया था इस कारण रामस्वरूप के हिस्से की आराजी पर स्व0रामस्वरूप के वारिसों का नाम दर्ज हुआ। दाखिला खारिज भरते समय पटवारी हल्का ने स्व0रामस्वरूप की पत्नी महादेवी का नाम महादेई तथा पुत्र परमांनन्द का नाम गलत रूप से राजवीर दर्ज कर दिया। तहसीलदार भरतपुर ने बिना जांच किये ही पटवारी हल्का द्वारा भरे गये दाखिल खारिज की मंजूर कर

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

दया। तहसीलदार भरतपुर व पटवारी हल्का द्वारा भी कोई मौके पर जांच नही की गई और गांव के लोगों से सरसरी पूछताछ कर नाम दर्ज कर दिये गये। अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के क्रमशः पति व पिता का असल में नाम रामस्वरूप है और दाखिला खारिज संख्या 22 व जमाबंदी सम्वत48–51 में भी रामस्वरूप दर्ज कर दिया गया लेकिन उसके बाद की जमाबंदियों में रामस्वरूप के स्थान पर रामसरूप कर लिया गया है जिसे दुरूस्त किया जावे। अपीलान्टान के समस्त दस्तावेजों में उनका सही नाम महादेवी पत्नी रामस्वरूप व परमानंद पुत्र रामस्वरूप दर्ज है। आधार कार्ड, भामाशाह व परिवार्ड कार्ड में सही नाम दर्ज है। अपीलान्ट संख्या 2 के शिक्षा प्रमाणपत्र में उसका सही नाम परमानंद पुत्र रामस्वरूप दर्ज है। अपीलान्टगण ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 04.05.1990 के आदेश की कोई जानकारी नही थी व जब प्रार्थीगण ऋण के लिये आवेदन किया तब अपने जमाबंदी में दर्ज उनके नामों की जानकारी हुई। इस पर दाखिला खारिज संख्या 22 की जानकारी दिनांक 27.0.2020 को होने पर दिनांक 28.10.2020 को नकल के लिए आवेदन किया और दिनांक 02.11.2020 को नकल प्राप्त होने पर प्रार्थीगण ने बिना देरी के यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुये अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने का शपथ पत्र पेश किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आर.आर.डी 1998 माननीय उच्च न्यायालय की नजिर पेश की है। अपीलान्टगण द्वारा तहसीलदार भरतपुर के दाखिला खारिज संख्या 22 दिनांक 04.05.1990 ग्राम त्योंगा में संशोधन कर अपीलान्ट संख्या 1 का नाम महादेई के स्थान पर महादेवी तथा अपीलान्ट संख्या 2 का नाम राजवीर के स्थान पर परमानंद किये जावे साथ ही हाल जमाबंदी में स्व0 रामस्वरूप के नाम को दुरूस्त कर रामसरूप के स्थान पर रामस्वरूप किये जाने की प्रार्थना की है।

रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि नामान्तकरण संख्या 22 दिनांक 04.05.1990 वाके ग्राम त्योंगा तहसील व जिला भरतपुर का दाखिला खारिज विरासत के आधार पर तहसीलदार भरतपुर ने स्वीकृत किया गया है जो कि सही व बाद जाचं स्वीकृत किया गया है। अपीलान्टगण द्वारा 1990 से 2021 तक उक्त नामान्तकरण बाबत कोई कार्यवाही नही की गई है और ना ही अपने म्याद के बिन्दु बाबत् कोई दस्तावेज पेश किये गये है। अन्त में राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपील को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

हमने उभय पक्षकारान अभिभाषक की गई बहस मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रथमतः अपील के मियाद बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील काफी विलम्ब से पेश की गई है। हालांकि अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया है किन्तु अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई सन्तोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। प्रकरण में 30 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है किन्तु देरी बाबत कोई स्पष्ट कारण नही दिया गया है। अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत आर.आर.डी 1998 पेज 324 माननीय उच्च न्यायालय के दृष्टांत का अवलोकन किया गया, जिसमें 7 माह के देरी को कन्डोन कर केस मैरिट पर सुना गया है। अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत अपील में 30 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है तथा अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम के साथ संलग्न शपथ पत्र में कोई ठोस कारण (Sufficient cause) नही दिया गया है, इस प्रकरण में उक्त दृष्टांत चस्पा नही होते है। मान0 राजस्व मण्डल व उच्च न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक दिन की देरीना का स्पष्ट विवरण देना होगा अन्यथा मियाद बिन्दु को क्षमा नही किया जावेगा।

इससे यह सिद्ध है कि अपीलान्टगण द्वारा अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम के साथ संलग्न शपथ पत्र में 30वर्ष की देरीना का कोई पर्याप्त कारण (Sufficient cause) नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलान्टगण म्याद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि :–

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर